अरेंजमेंट स्कीम

संख्या : 1: 05 : सीएस : एम एंड ए
दिनांक : 27th अप्रैल, 2018

सेवा में,

नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड **लिस्टिंग विभाग**, **एक्सचेंज प्लाजा**, **बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स -**, **वांद्रा (पू)**, **मुंबई -** 400 051	National Stock Exchange of India Limited, Listing Department, Exchange Plaza,Bandra - Kurla Complex, Bandra (E) MUMBAI - 400 051.

<u>ध्यानाकर्षण</u> : **<u>"प्रबंधक - सूचीकरण - अनुपालन विभाग"</u>**

विषय : **<u>सेबी की दिनांक 15 फरवरी, 2017 की अधिसूचना संख्या सेबी / एलएडी / एनआरओ / जीएन</u>** / 2016-17 / <u>02 9 **के संबंध में व्यवस्था की योजना प्रस्तुत करना।**</u>

सेबी की दिनांक **15** फरवरी, **2017** की अधिसूचना संख्या सेबी / एलएडी / एनआरओ / जीएन / **2016-17 / 02 9** के साथ पठित भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीकरण की बाध्यताएं और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमन**, 2015** के विनियम **37** के संदर्भ और **03** अक्टूबर**, 2017** के हमारे प्रकटीकरण के क्रम में हम इस प्रकार निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न करते हैं :

1) व्यवस्था की मसौदा योजना की प्रमाणित सत्य प्रतिलिपि,
2) ऐसी योजना की मंजूरी के लिए निदेशक मंडल के संकल्प की प्रमाणित सत्य प्रतिलिपि।

आप से अनुरोध है कि कृपया इसे अपने रिकॉर्ड में लें ।

धन्यवाद,

भवदीय,
कृते पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड

(मनोहर बलवानी)
कंपनी सचिव
mb@pfcindia.com

ड्राफ्ट अरेंजमेंट स्कीम: प्रिंट वर्जन

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 230 -232 के अंतर्गत
पीएफसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड (ट्रांसफरर कंपनी)
के
पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन (ट्रांसफरी कंपनी)
के साथ आमेलन के लिए
पीएफसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड (ट्रांसफरर कंपनी)
और
पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन (ट्रांसफरी कंपनी)
तथा
उनके संगत शेयरधारकों और क्रेडिटरों के बीच
आमेलन के लिए
व्यवस्था की योजना

ड्राफ्ट अरेंजमेंट स्कीम: प्रिंट वर्जन

योजना के भाग :

1. **भाग I -** योजना के इस भाग में ट्रांसफरर कंपनी और ट्रांसफरी कंपनी की परिभाषाएं, पूंजी संरचना आदि निहित हैं।

2. **भाग II -** योजना का यह भाग कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 230 - 232 के अनुसार ट्रांसफरर कंपनी के ट्रांसफरी कंपनी के साथ आमेलन से संबंधित है।

3. **भाग III -** योजना का यह भाग आमेलन के लिए अपनायी गई लेखांकन पद्धति से संबंधित है।

4. **भाग IV -** योजना के इस भाग में योजना के लिए यथा लागू अन्य निबंधन और शर्तें निहित हैं।

ड्राफ्ट अरेंजमेंट स्कीम: प्रिंट वर्जन

पीएफसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड (ट्रांसफरर कंपनी)
और
पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन (ट्रांसफरी कंपनी)
तथा
उनके संगत शेयरधारकों और क्रेडिटरों के बीच
व्यवस्था की योजना
भूमिका

क. व्यवस्था की योजना का सिंहावलोकन

- व्यवस्था की यह योजना पीएफसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड (ट्रांसफरर कंपनी) के पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (ट्रांसफरी कंपनी) के साथ आमेलन के लिए कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 230-232 के प्रावधानों और कंपनी (समझौते, व्यवस्थाएं और आमेलन) नियमावली 2016 के यथालागू नियमों के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।
- ट्रांसफरर कंपनी ट्रांसफरी कंपनी के पूर्ण स्वामित्व वाली एक सहायक कंपनी है, अत: इस बात को ध्यान में रखते हुए ट्रांसफरी कंपनी व्यवस्था के इस योजना के अंतर्गत कोई भी शेयर जारी नहीं करेगी। व्यवस्था की योजना के अनुसरण में ट्रांसफरर कंपनी में ट्रांसफरी कंपनी की मौजूदा शेयरधारिता रद्द (समाप्त) हो जाएगी।
- इसके अलावा, व्यवस्था की इस योजना में इसके परिणामस्वरूप उत्पन्न होने वाले अन्य विविध मामलों अथवा अन्यथा इससे अभिन्न रूप से जुड़े मामलों के लिए भी प्रावधान किया गया है।

ख. कंपनियों की पृष्ठभूमि और विवरण

1. पीएफसी ग्रनी एनर्जी लिमिटेड और पीएफसीजीईएल अथवा ट्रांसफरर कंपनी, जिसकी सीआईएन संख्या U65923DL2011GO1216796 है, की स्थापना कंपनी अधिनियम 1956 के प्रावधानों के अनुसार मूल रूप से पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के रूप में 30 मार्च 2011 को की गई, तत्पश्चात कंपनी ने अपना मौजूदा नाम अर्थात पीएफसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड 21 जुलाई 2011 को परिवर्तित किया। ट्रांसफरर कंपनी का पंजीकृत कार्यालय ऊर्जा निधि, 1 बाराखंबा लेन, कनाट प्लेस, नई दिल्ली- 110001 में अवस्थित है। ट्रांसफरर कंपनी एक गैर - बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) के रूप में पंजीकृत है और इसने भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) से एनबीएफसी का प्रमाण पत्र 01 अक्टूबर 2012 को प्राप्त किया। ट्रांसफरर कंपनी सभी प्रकार की नवीकरणीय ऊर्जा और ऊर्जा कुशलता से जुड़ी परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

   ट्रांसफरर कंपनी की स्थापना ऊर्जा के हरित स्रोतों (नवीकरणीय और गैर पारंपरिक) को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (ट्रांसफरी कंपनी) के एक विस्तारित स्तंभ

के रूप में पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (ट्रांसफरी कंपनी) के पूर्ण स्वामित्व वाली एक सहायक कंपनी के रूप में की गई।

2. **पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड अथवा पीएफसीएल** अथवा ट्रांसफरी कंपनी, जिसकी सीआईएन संख्या L65910DL1986GOI024862 है, की स्थापना कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के अनुसार 16 जुलाई 1986 को की गई। ट्रांसफरी कंपनी का पंजीकृत कार्यालय ऊर्जा निधि, 1 बाराखंबा लेन, कनाट प्लेस, नई दिल्ली- 110001 में अवस्थित है। ट्रांसफरी कंपनी एक गैर - बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) के रूप में पंजीकृत है और इसने भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) से एनबीएफसी का प्रमाण पत्र 10 फरवरी 1998 को प्राप्त किया और इसे भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 28 जुलाई 2010 को एक अवसंरचना वित्तीय कंपनी के रूप में वर्गीकृत किया गया।

पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड विद्युत क्षेत्र का एक अग्रणी सार्वजनिक वित्तीय संस्थान और एक गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी है, जो भारतीय विद्युत क्षेत्र के विकास के लिए निधि आधारित और गैर निधि आधारित सहायता प्रदान कर रही है। यह कंपनी विद्युत क्षेत्र के वित्तपोषण से जुड़ी है और विद्युत एवं संबद्ध क्षेत्रों के एकीकृत विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

ग. योजना के लक्ष्य और औचित्य

- ट्रांसफरर कंपनी ट्रांसफरी कंपनी के पूर्ण स्वामित्व वाली एक सहायक कंपनी है और एक ही तरह के कारोबार से जुड़ी है। एक ही स्थान पर एक तरह के कारोबार को सुदृढ़ करने और ट्रांसफरर कंपनी तथा ट्रांसफरी कंपनी को एक एकल निकाय के रूप में प्रभावशाली ढंग से प्रबंधित करने के प्रयोजन से ऐसा इरादा किया गया है कि ट्रांसफरर कंपनी को ट्रांसफरी कंपनी के साथ आमेलित कर दिया जाए, जिसके कई लाभ प्राप्त होंगे, जिनमें कानूनी निकायों की संख्या घटाकर सामूहिक संरचना को मुख्य धारा में लाना, कानूनी और नियामक अनुपालनों की बहुतायत संख्या को कम करना, लागत को औचित्यपूर्ण बनाना आदि शामिल हैं।
- ट्रांसफरर कंपनी और ट्रांसफरी कंपनी का स्वतंत्र रूप से प्रचालन करने के परिणामस्वरूप इसमें उल्लेखनीय लागत आती है और दोनों का आपस में आमेलन करने से कंपनियां मितव्ययिता बरतने और लागत की बचत करने में सक्षम बनेंगी। इस प्रकार आमेलन से बहुपरतीय संरचना समाप्त होगी और प्रबंधकीय ओवरलैप घटेगा, जो बहुत से निकायों के संचालन में अनिवार्य रूप से शामिल होते हैं तथा इससे दोहरी लागत को भी रोका जा सकता है क्योंकि इससे धारक संरचना (कंपनी) की वित्तीय सक्षमता भी प्रभावित हो सकती है तथा परिणामी प्रचालन भी काफी हद तक लागत प्रभावी होगा। इस योजना के परिणामस्वरूप ट्रांसफरी कंपनी के सरलीकृत निगमित ढांचे और इसके कारोबार का लाभ ट्रांसफरर कंपनी को प्राप्त होगा, इस प्रकार पूंजी का तुलनात्मक रूप से अधिक कुशल ढंग से सदुपयोग होगा और ट्रांसफरी कंपनी के भावी विकास के लिए एक सुदृढ़ आधार का सृजन होगा।
- दोनों कंपनियों के आमेलन से दोनों कंपनियों के उद्देश्यों और व्यापारिक रणनीतियों की पूर्ति होगी और यह दोनों के भावी विकास में अहम योगदान देगा, इस प्रकार ट्रांसफरी कंपनी के माध्यम से ट्रांसफरर कंपनी के संगत व्यवसाय की वृद्धि, विस्तार और विकास में तेजी आएगी। आमेलन से ट्रांसफरी कंपनी भी अपना और विस्तार करने में सक्षम बनेगी तथा तुलनात्मक रूप से अधिक लाभ उठाते हुए व्यापार करने के लिए एक

मजबूत और केंद्रित आधार उपलब्ध करा पाएगी। इसके अलावा इस व्यवस्था से प्रबंधन कारोबार पर अधिक केंद्रित रूप से काम करेगा, प्रबंधन ढांचे का एकीकरण किया जा सकेगा, उसे मुख्य धारा में लाया जा सकेगा, और नीतिगत परिवर्तनों का निर्बाध रूप से कार्यान्वयन किया जा सकेगा और इससे ट्रांसफरर कंपनियों और ट्रांसफरी कंपनियों की कुशलता और नियंत्रण में वृद्धि करने में भी सहायता मिलेगी।

- व्यवस्था की योजना के माध्यम से सृजित सह क्रियाओं के फलस्वरूप प्रचालनात्मक दक्षता बढ़ेगी और व्यापारिक कार्यकलापों का एकीकरण होगा।
- प्रस्तावित व्यवस्था से ट्रांसफरी कंपनी को तुलनात्मक रूप से अधिक सहूलियत होगी और कारोबार का एकीकरण करने में वह सक्षम होगी और परिसंपत्ति आधार, राजस्व, उत्पाद और सेवा रेंज के संदर्भ में ट्रांसफरी कंपनी उद्योग जगत में अपनी स्थिति और अधिक मजबूत कर पाएगी।
- प्रस्तावित आमेलन के अन्य लाभों में निम्नलिखित लाभ शामिल हैं :

  (क) पूंजी, संसाधनों, परिसंपत्तियों और सुविधाओं का अधिकतम और कुशल सदुपयोग और औचित्य स्थापन;

  (ख) वित्तीय संसाधनों सहित प्रतिस्पर्धी सामर्थ्य में वृद्धि;

  (ग) सहक्रियात्मक लाभ प्राप्त करना;

  (घ) बेहतर प्रबंधन और कारोबार की वृद्धि पर ध्यान केंद्रित करना;

  (ङ) उपरिव्यय, प्रशासनिक और प्रबंधकीय और अन्य व्यय में कटौती/कमी;

  (च) शेयरधारिता ढांचे का सरलीकरण और शेयरधारिता के स्तर (टीयर) कम करना।

घ. उपर्युक्त कारणों से व्यवस्था की इस योजना और कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 230-232 के प्रावधानों और कंपनी (समझौते, व्यवस्थाएं और आमेलन) नियमावली 2016 के यथालागू नियमों के अनुसार पीएफसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड (ट्रांसफरर कंपनी) का पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (ट्रांसफरी कंपनी) के साथ आमेलन करना अपेक्षित और अनिवार्य समझा गया है।

ङ. कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 230-232 के प्रावधानों और कंपनी (समझौते, व्यवस्थाएं और आमेलन) नियमावली 2016 के यथालागू नियमों के अनुक्रम में और के अनुसार ट्रांसफरर कंपनी का ट्रांसफरी कंपनी के साथ आमेलन निर्धारित तारीख से लागू होगा और यह आयकर अधिनियम 1961 की धारा 2 (1ख) के अनुपालन में होगा।

ड्राफ्ट अरेंजमेंट स्कीम: प्रिंट वर्जन

भाग - I

सामान्य प्रावधान

1. परिभाषाएं

इस योजना में जब तक कि विषय अथवा संदर्भ अथवा अर्थ के प्रतिकूल न हो, तब तक निम्नलिखित अभिव्यक्तियों का वही अर्थ अभिप्रेत होगा, जो नीचे दिया गया है :

1.1. **"अधिनियम":** अधिनियम से कंपनी अधिनियम 2013 अथवा कंपनी अधिनियम 1956 (जिस सीमा तक लागू हो) अभिप्रेत होगा और इसमें कोई भी सांविधिक संशोधन, पुनर्अधिनियमन अथवा इनमें किए गए संशोधन शामिल होंगे।

1.2. **"निर्धारित तारीख"**: निर्धारित तारीख से 01 अप्रैल 2017 अभिप्रेत है, अर्थात वह तारीख, जिससे यह योजना लागू होगा अथवा ऐसी अन्य तारीख (तारीखें) जो केंद्र सरकार अथवा अधिकरण अथवा किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित अथवा अनुमोदित की जाएं।

1.3. **"मंडल" अथवा "निदेशक मंडल":** ट्रांसफरर कंपनी अथवा ट्रांसफरी कंपनी, जैसा भी मामला हो, के संदर्भ में 'मंडल' अथवा 'निदेशक मंडल' से ऐसी कंपनी का निदेशक मंडल अभिप्रेत है और इसमें निदेशकों की कोई समिति, यदि गठित या नियुक्त की जाती है और ऐसे निदेशक मंडल की ओर से इस योजना के कार्यान्वयन के लिए कोई निर्णय लेने हेतु प्राधिकृत होती है, शामिल होगी।

1.4. **"बीएसई"** बीएसई से बांबे स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) अभिप्रेत है।

1.5. **"प्रभावी तारीख":** प्रभावी तारीख से वह तारीख अभिप्रेत है, जिसको अधिनियम की धारा 230- 232 के अंतर्गत योजना को स्वीकृति प्रदान करते हुए कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय के आदेश (आदेशों) की प्रमाणित प्रतिलिपि कंपनियों के रजिस्ट्रार के पास फाईल की जाती है।

इस योजना में "योजना के प्रभावी होने'' अथवा "इस योजना के लागू होने'' अथवा ''योजना के लागू होने की तारीख'' अथवा "योजना प्रभावी होने'' आदि जैसे शब्दों के किसी भी संदर्भ का अर्थ प्रभावी तारीख अभिप्रेत होगा।

1.6. **"**इक्विटी शेयर (शेयरों)**"** इक्विटी शेयर (शेयरों) का अर्थ ट्रांसफरर कंपनी अथवा ट्रांसफरी कंपनी, जैसा भी मामला हो, के इक्विटी शेयर अभिप्रेत होगा।

1.7. **"**सरकारी कंपनी**"** सरकारी कंपनी का वही अर्थ अभिप्रेत होगा, जो इसके लिए कंपनी अधिनियम 2013 में दिया गया है।

1.8. **"आईटी अधिनियम"** आईटी अधिनियम का अर्थ आयकर अधिनियम, 1961 और समय-समय पर इसमें किए गए और यथालागू कोई अन्य सांविधिक आशोधन, संशोधन, पुनर्व्याख्या अथवा पुनर्अधिनियमन अभिप्रेत है।

1.9. **"कानून"** अथवा **"लागू कानून"** में सभी यथालागू संविधियां, अधिनियमन, विधानमंडल अथवा संसद के अधिनियम, कानून, अध्यादेश, नियम, उपविधियां, विनियम, अधिसूचनाएं, दिशानिर्देश, नीतियां निर्देश, निदेश और किसी सरकार, सांविधिक प्राधिकरण, अधिकरण, बोर्ड, भारत अथवा किसी अन्य देश अथवा यथा लागू क्षेत्राधिकार के आदेश शामिल हैं।

1.10. **'सूचीकरण विनियम'** सूचीकरण विनियम का अर्थ सेबी (सूचीकरण संबंधी बाध्यताएं और प्रकटन संबंधी अपेक्षाएं) विनियम 2015 अभिप्रेत है और इसमें किए गए कोई भी संशोधन, आशोधन अथवा अधिनियमन इसमें शामिल हैं।

1.11. **"एमसीए"** एमसीए का अर्थ कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय, भारत सरकार अभिप्रेत है।

1.12. **"एमसीए अधिसूचना"** एमसीए अधिसूचना का अर्थ कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय के दिनांक 13 जून 2017 की अधिसूचना संख्या जी. एस. आर. 582 (ई) अभिप्रेत है, जिसमें "अधिकरण'' शब्द, जहां कहीं भी आता है, को कंपनी अधिनियम 2013 के अध्याय XV, धारा 230-232 में ''केंद्र सरकार'' शब्द से प्रतिस्थापित किया जाएगा।

1.13. **''एनएसई''** एनएसई का अर्थ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड अभिप्रेत है।

1.14. **"सरकारी परिसमापक"** अथवा "**ओएल":** सरकारी परिसमापक अथवा ओएल का अर्थ वह सरकारी परिसमापक अभिप्रेत है, जिसके अधिकार क्षेत्र में ट्रांसफरर कंपनी और ट्रांसफरी कंपनी आती हैं।

1.15. **"अभिलेखित तारीख":** अभिलेखित तारीख का अर्थ आमेलन की योजना अनुमोदित करते हुए ट्रांसफरर कंपनी और ट्रांसफरी कंपनी के सदस्यों की संख्या निर्धारित करने के प्रयोजन से ट्रांसफरी कंपनी के निदेशक मंडल अथवा उसकी ओर से नियुक्त की गई किसी समिति द्वारा निर्धारित तारीख अभिप्रेत है।

1.16. **''क्षेत्रीय निदेशक'' :** क्षेत्रीय तारीख का अर्थ क्षेत्रीय निदेशक (उत्तरी क्षेत्र) , कॉर्पोरेट कार्य मंत्रारलय, नई दिल्ली अभिप्रेत हैं।

1.17. "**कंपनी रजिस्ट्रार'' अथवा ''आरओसी'':** कंपनी रजिस्ट्रार अथवा आरओसी का अर्थ नई दिल्ली में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली और हरियाणा के कंपनी रजिस्ट्रार अभिप्रेत है।

1.18. **"नियमावली":** नियमावली का अर्थ कंपनी (समझौते, व्यवस्थाएं और आमेलन), नियमावली, 2016 अभिप्रेत है।

1.19. **"योजना" अथवा "आमेलन की योजना":** योजना अथवा आमेलन की योजना का अर्थ कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 230-232 के अंतर्गत दोनों कंपनियों के निदेशक मंडलों द्वारा लिए गए अनुमोदन के अनुसार और

इसमें समय-समय पर किए गए किन्हीं भी आशोधनों और संशोधनों के अनुसार तथा कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय और कंपनी अधिनियम 2013 और यथालागू अन्य कानूनों के अंतर्गत यथावश्यक अन्य संगत नियामक प्राधिकारियों के उपयुक्त अनुमोदन और मंजूरी के साथ पीएफसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड, ट्रांसफरर कंपनी के पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (ट्रांसफरी कंपनी) के साथ आमेलन के लिए व्यवस्था की यह योजना अभिप्रेत है।

1.20. **"सेबी"** सेबी का अर्थ भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड अभिप्रेत है।

1.21. "**सेबी अधिसूचना"** सेबी अधिसूचना का अर्थ दिनांक 15 फरवरी 2017 की अधिसूचना संख्या सेबी/ एलईडी/एनआरओ/जीएन/ 2016-17/ 029 अभिप्रेत है, जिसमें किसी धारक कंपनी के साथ उसके पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी के विलय के मामले में सेबी/स्टॉक एक्सचेंज से कोई पूर्व अनुमोदन प्राप्त न करने का प्रावधान किया गया है, ऐसी मसौदा योजनाओं को प्रकटन के प्रयोजन से स्टॉक एक्सचेंज के समक्ष फाईल किया जाएगा।

1.22. **"स्टॉक एक्सचेंज"** स्टॉक एक्सचेंज का अर्थ बीएसई लिमिटेड (बीएसई), एनएसई लिमिटेड (एनएसई) अथवा ऐसा अन्य कोई स्टॉक एक्सचेंज अभिप्रेत है, जहां वर्तमान में पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के इक्विटी शेयर सूचीबद्ध हैं/ सूचीबद्ध किए जा सकते हैं।

2. लागू होने की तारीख और प्रभावी तारीख

वर्तमान स्वरूप में अथवा इस योजना के भाग-IV के अध्याय 5 के अनुसार इसमें किए गए किसी संशोधन / आशोधन (संशोधनों) के साथ यहां दी गई योजना निर्धारित तारीख से प्रभावी होगी, परंतु प्रभावी तारीख से लागू होगी।

3. पूंजी संरचना:

निर्धारित तारीख अर्थात 01 अप्रैल 2017 की स्थिति के अनुसार और योजना के कार्यान्वयन से तत्काल पहले ट्रांसफरी कंपनी और ट्रांसफरर कंपनी की पूंजी संरचना निम्नानुसार है :

3.1. **पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड** : निर्धारित तारीख अर्थात 01 अप्रैल 2017 की स्थिति के अनुसार ट्रांसफरी कंपनी की शेयर पूंजी निम्नानुसार थी:

विवरण	**राशि (रू. में)**
प्राधिकृत शेयर पूंजी प्रत्येक 10/- रु. के **1000,00,00,000** इक्विटी शेयर	10000,00,00,000.00
जारी, अंशधारित और प्रदत्त शेयर पूंजी प्रत्येक 10/- रु. के 2,640,081,408 इक्विटी शेयर	26,400,814,080.00

कुल

26,400,814,080.00

निर्धारित तारीख के बाद ट्रांसफरी कंपनी की पूंजी संरचना में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

3.2. **पीएफसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड** : निर्धारित तारीख अर्थात 01 अप्रैल 2017 की स्थिति के अनुसार ट्रांसफरर कंपनी की शेयर पूंजी निम्नानुसार थी:

विवरण	**राशि (रू. में)**
प्राधिकृत शेयर पूंजी	
प्रत्येक 10/- रु. के **1000,00,00,000** इक्विटी शेयर	10,000,000,000.00
प्रत्येक 10/- रु. के **200,000,000** प्राथमिकता शेयर	2,000,000,000.00
जारी, अंशधारित और प्रदत्त शेयर पूंजी	
प्रत्येक 10/- रु. के 100,000,000 इक्विटी शेयर	1,000,000,000.00
प्रत्येक 10/- रु. के 200,000,000 प्राथमिकता शेयर	2,000,000,000.00

कुल

3,000,000,000.00

निर्धारित तारीख के बाद ट्रांसफरर कंपनी की पूंजी संरचना में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

.

ड्राफ्ट अरेंजमेंट स्कीम: प्रिंट वर्जन

भाग -II

आमेलन, अंतरण और बचनबद्धता (शपथ पत्र)

1. निर्धारित तारीख से और योजना के लागू होने पर ट्रांसफरर कंपनी का पूरा कारोबार और संपूर्ण बचनबद्धता (बचनबद्धताएं), संपत्तियां और देनदारियां कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 230 और 232 के अनुसार और अन्य लागू नियमों के अनुसार तथा कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय (केंद्र सरकार) के आदेश के अनुक्रम में अथवा अन्य उपयुक्त प्राधिकारी या फोरम, यदि कोई है, जिसमें योजना को मंजूरी प्रदान की है, के आदेश के अनुसार किसी भी अन्य आगामी अधिनियम, लिखत, विलेख, मामला अथवा बात के बिना ट्रांसफरी कंपनी को एक जारी प्रतिष्ठान के रूप में अंतरित मानी जाएंगी और यह माना जाएगा कि वे उसे अंतरित और/अथवा स्थानांतरित कर दी गई हैं, जिससे कि वे अब ट्रांसफरी कंपनी की बचनबद्धता (बचनबद्धताएं), परिसंपत्तियां और देनदारियां हो सकें।

2. निर्धारित तारीख से और योजना के लागू होने पर उनकी पूरी संपत्तियों, परिसंपत्तियों, अधिकारों, लाभों और निहित हित के साथ-साथ ट्रांसफरर कंपनी का पूरा कारोबार और संपूर्ण बचनबद्धता किसी भी अन्य आगामी अधिनियम अथवा विलेख, मामला अथवा बात के बिना निम्नलिखित ढंग से बैंकों अथवा वित्तीय संस्थानों, जैसा भी मामला हो, के पक्ष में उनमें मौजूदा परिवर्तनों के अध्यधीन ट्रांसफरी कंपनी को अंतरित मानी जाएंगी और यह माना जाएगा कि वे उसे अंतरित और/अथवा स्थानांतरित कर दी गई हैं;

3. **परिसंपत्तियों का अंतरण (स्थानांतरण)**

3.1 निर्धारित तारीख से और योजना के लागू होने पर ट्रांसफरर कंपनी को उपलब्ध ट्रेडमार्क, पेटेंट, कॉपीराइट के पंजीकरण के लिए आवेदन और उनके इस्तेमाल के लिए अधिकार सहित सभी सदस्यताएं, लाइसेंस, फ्रेंचाइजी, अधिकार, सुविधाएं, परमिट, कोटा, अधिकार, पात्रताएं, आवंटन, अनुमोदन, सहमतियां, छूट, ट्रेडमार्क लाइसेंस, जो उसे निर्धारित तारीख को उपलब्ध थे अथवा निर्धारित तारीख के बाद परंतु प्रभावी तारीख तक जो प्राप्त किए जा सकते हैं, किसी आगामी लिखत, विलेख अथवा अधिनियम या किसी भावी शुल्क, प्रभार अथवा प्रतिभूतियों के भुगतान के बिना ट्रांसफरी कंपनी को हस्तांतरित हो जाएंगे।

3.2 निर्धारित तारीख से और योजना के लागू होने पर ट्रांसफरर कंपनी को उपलब्ध पंजीकरण के सभी प्रमाण पत्र, जो उसे नियत निर्धारित तारीख को प्राप्त थे अथवा जो ट्रांसफररर कंपनी द्वारा निर्धारित तारीख के बाद परंतु प्रभावी तारीख से पहले प्राप्त किए जा सकते हैं, किसी आगामी लिखत, विलेख अथवा अधिनियम या किसी भावी शुल्क, प्रभार अथवा प्रतिभूतियों के भुगतान के बिना ट्रांसफरी कंपनी को हस्तांतरित हो जाएंगे।

3.3 निर्धारित तारीख से और योजना के लागू होने पर ट्रांसफरर कंपनी की सभी परिसंपत्तियां, जो चल प्रकृति की हैं, जिनमें फुटकर कर्जदार , बकाया ऋण और अग्रिम, बीमा दावे, अग्रिम कर, न्यूनतम वैकल्पिक कर (एमएटी) , सेट ऑफ राइट्स, पहले अदा किए गए कर, उद्ग्रहण / देनदारियां, सेनवैट / वैट क्रेडिट, यदि कोई है, जिन्हें नकद अथवा वस्तु रूप में वसूल किया जा सकता है या जिन्हें मूल्य के लिए प्राप्त किया जा सकता है, बैंक में जमा राशियां और नकद राशियां, यदि कोई हैं, जो सरकार, अर्धसरकारी प्रतिष्ठानों,

स्थानीय और अन्य प्राधिकरणों और निकायों, उपभोक्ताओं और अन्य व्यक्तियों के पास उपलब्ध हैं अथवा ऐसी अन्य परिसंपत्तियां, जो भौतिक प्रदायगी द्वारा स्थानांतरित की जा सकती हैं, को केवल भौतिक प्रदायगी द्वारा स्थानांतरित किया जाएगा और अन्य सभी परिसंपत्तियां पृष्ठांकन और प्रदायगी द्वारा इस योजना के अनुसार रिकॉर्ड करते हुए स्थानांतरित की जाएंगी, को ट्रांसफरी कंपनी के अधिकार क्षेत्र में माना जाएगा और वे किसी आगामी लिखत, विलेख अथवा अधिनियम या किसी भावी शुल्क, प्रभार अथवा प्रतिभूतियों के भुगतान के बिना ट्रांसफरी कंपनी की संपत्ति और उसका अभिन्न भाग हो जाएंगी।

3.4 निर्धारित तारीख से और योजना के लागू होने पर ट्रांसफररर कंपनी की सभी अमूर्त परिसंपत्तियां, जो निर्धारित तारीख को उसके पास उपलब्ध हैं, अथवा निर्धारित तारीख के बाद परंतु प्रभावी तारीख तक जो उसके द्वारा ली जा सकती हैं, किसी आगामी लिखत, विलेख अथवा अधिनियम या किसी भावी शुल्क, प्रभार अथवा प्रतिभूतियों के भुगतान के बिना ट्रांसफरी कंपनी को स्थानांतरित हो जाएंगी।

3.5 निर्धारित तारीख से और योजना के लागू होने पर ट्रांसफरर कंपनी की सभी अचेल परिसंपत्तियां जिनमें भूमि और भवन अथवा कोई अन्प्य वचन परिसंपत्तियां शामिल हैं, परंतु केवल इतना ही नहीं, चाहे वे फ्रीहोल्ड अथवा पट्टे पर हों, उनके अधिपत्य, अधिकार और प्रयोग की सहूलियत से जुड़े सभी दस्तावेज किसी आगामी लिखत, विलेख अथवा अधिनियम या किसी भावी शुल्क, प्रभार अथवा प्रतिभूतियों के भुगतान के बिना ट्रांसफरी कंपनी को स्थानांतरित हो जाएंगी, चाहे वह भुगतान ट्रांसफरर कंपनी या ट्रांसफरी कंपनी द्वारा क्यों न किया गया हो।

3.6 निर्धारित तारीख से ट्रांसफरी कंपनी सभी अधिकारों और सुविधाओं का प्रयोग करने के लिए पात्र हो जाएगी और ऐसी अचल परिसंपत्तियों के संबंध में अथवा के लिए लागू ग्राउंड रेंट, कर और बाध्यताओं को पूरा करने के लिए जबावदेह होगी। अचल परिसंपत्तियों के अधिकार का दाखिल-खारिज (नामांतरण) /प्रतिस्थापन किया जाएगा और कॉपोरेट कार्य मंत्रालय (केंद्र सरकार) द्वारा योजना की मंजूरी के अनुसरण में और योजना की निबंधन और शर्तों के अनुसार इसके लागू होने पर उपयुक्त प्राधिकारियों द्वारा उन्हें ट्रांसफरी कंपनी के नाम पर विधिवत रूप से रिकॉर्ड किया जाएगा।

3.7 निर्धारित तारीख से और योजना के लागू होने पर, ट्रांसफरी कंपनी से संबंधित सभी संविदाएं, विलेख, बांड, करार, योजनाएं, व्यवस्थाएं और अन्य लिखत, चाहे किसी भी प्रकृति के क्यों न हों, जिनमें ट्रांसफरर कंपनी एक पक्षकार है अथवा जिनके लाभ के लिए ट्रांसफरर कंपनी पात्र हो सकती है और जो प्रभावी तारीख के बाद तत्काल प्रतिस्थापित हो रहे हैं अथवा लागू हो रहे हैं, वे ट्रांसफरी कंपनी के पक्ष में अथवा के विरूद्ध लागू होंगे और उन्हें पूरी तरह से ठीक उसी प्रकार और प्रभावशाली ढंग से प्रवृत्त किया जाए, जैसे उन्हें ट्रासफरर कंपनी द्वारा लागू किया जा रहा था और ट्रांसफरी कंपनी अब आगे से उनमें एक पक्षकार अथवा लाभार्थी या बाध्यकारी पक्ष हो जाएगी।

3.8 निर्धारित तारीख से और योजना के लागू होने पर, ट्रांसफरर कंपनी से संबंधित सभी परमिट, कोटा, अधिकार, पात्रताएं, लाइसेंस, जिनमें ट्रेडमार्क, किराएदारी, पेटेंट, कॉपरीराइट, सुविधाओं, सॉफ्टवेयर, शक्तियों, किसी भी प्रकार की सुविधाओं से संबंधित अधिकार शामिल हैं और चाहे वे किसी भी प्रकृति के हों जिनमें ट्रांसफरर कंपनी एक पक्षकार है अथवा जिनके लाभार्थ ट्रांसफरर कंपनी पात्र हो सकती है और जो प्रभावी तारीख से तत्काल पहले अस्तित्व में हैं अथवा लागू हो रहे हैं, वे ट्रांसफरी कंपनी के पक्ष में अथवा के विरूद्ध लागू होंगे और उन्हें पूरी तरह से ठीक उसी प्रकार और प्रभावशाली ढंग से प्रवृत्त किया जाए, जैसे उन्हें

ट्रासफरर कंपनी द्वारा लागू किया जा रहा था और ट्रांसफरी कंपनी अब आगे से उनमें एक पक्षकार अथवा लाभार्थी या बाध्यकारी पक्ष हो जाएगी।

3.9 निर्धारित तारीख से और योजना के लागू होने पर, ट्रांसफरर कंपनी के प्रचालनों को संचालित करने के लिए आवश्यक कोई भी सांविधिक लाइसेंस, अनापत्ति प्रमाण पत्र, अनुमतियां और अनुमोदन अथवा ट्रांसफरर कंपनी को दिए गए इस प्रकार के अनुमोदनों को किसी आगामी कार्य अथवा विलेख के बिना ट्रांसफरी कंपनी को हस्तांतरित माना जाएगा और इस योजना के अनुसरण में ट्रांसफरर कंपनी के कारोबार और उद्यमों को ट्रांसफरी कंपनी के पक्ष में संबंधित सांविधिक प्राधिकारियों द्वारा उपयुक्त ढंग से हस्तांतरित किया जाएगा अथवा उसे सौंपा जाएगा। ट्रांसफरर कंपनी के प्रचालनों को संचालित करने के लिए आवश्यक सांविधिक लाइसेंस, अनुमतियों अथवा अनुमोदनों सहित सभी सांविधिक और नियामक अनुमतियों, लाइसेंसों, अनुमोदनों और सहमतियों का लाभ ट्रांसफरी कंपनी को प्राप्त होगा और इस योजना के अनुसार उसे उपलब्ध हो जाएगा।

3.10 निर्धारित तारीख से और योजना के लागू होने पर, ट्रांसफरर कंपनी के सभी मोटर वाहन, चाहे किसी भी प्रकृति के क्यों न हों, ट्रांसफरी कंपनी को स्थानांतरित माने जाएंगे और उनपर ट्रांसफरी कंपनी का अधिकार होगा तथा उपयुक्त सरकार तथा पंजीकरण प्राधिकारी किसी आगामी लिखत विलेख अथवा कार्य या शुल्क प्रभार अथवा प्रतिभूतियों के किसी आगामी भुगतान के बिना ट्रांसफरर कंपनी के स्थान पर ट्रांसफरी कंपनी के नाम को प्रतिस्थापित करेंगे।

4. **देनदारियों का स्थानांतरण**

4.1 निर्धारित तारीख से और योजना के लागू होने पर, ट्रांसफरर कंपनी के सभी कर्ज, देनदारियां, आकस्मिक देनदारियां, कर्तव्य और बाध्यताएं, सुरक्षित अथवा असुरक्षित, चाहे ट्रांसफरर कंपनी के तुलनपत्र में उनका प्रकटन किया गया हो अथवा लेखा बही में उसका प्रावधान किया गया हो या न किया गया हो, को ट्रांसफरी कंपनी के कर्ज, देनदारियां, आकस्मिक देनदारियां, कार्य और बाध्यताओं के रूप में माना जाएगा।

4.2 यहां निहित प्रावधानों के प्रति सामान्यतया किसी पूर्वाग्रह के बिना ट्रांसफरर कंपनी द्वारा अपने प्रचालनों के लिए नियत तारीख के बाद परंतु प्रभावी तारीख से पहले अर्जित की गई देनदारियां और नियत तारीख के बाद परंतु प्रभावी तारीख तक जुटाए गए सभी ऋण ट्रांसफरी कंपनी के माने जाएंगे।

4.3 उपर बताएं अनुसार ट्रांसफरर कंपनी के संपूर्ण कारोबार और उद्यम का स्थानांतरण और अधिकार परिवर्तन ट्रांसफरर कंपनी के किसी भाग अथवा उसकी संपत्ति और परिसंपत्तियों के संदर्भ में, जैसा भी मामला हो, मौजूदा प्रतिभूतियों, प्रभारों और बंधक (रेहन), यदि कोई हैं, के अध्यधीन होगा।

बशर्ते कि ट्रांसफरी कंपनी के भाग के रूप में और उसके संदर्भ में प्रतिभूतियां, प्रभार और बंधक (यदि कोई मौजूद है), ऐसी परिसंपत्तियों अथवा उनके भाग के संदर्भ में जारी रहेंगे और इस योजना के लागू होने से अंतत: ऐसी प्रतिभूतियों, प्रभारों अथवा बंधक में कोई वृद्धि नहीं होगी और यह अभिलाषा की जाती है कि ऐसी प्रतिभूतियां, प्रभार और बंधक का विस्तार नहीं होगा अथवा इस योजना के अनुसार ट्रांसफरर कंपनी की किन्हीं अन्य परिसंपत्तियों, जो अब ट्रांसफरी कंपनी के पास हैं, को विस्तारित नहीं माना जाएगा।

परंतु हमेशा यह योजना ट्रांसफरर कंपनी द्वारा सृजित की गई किसी ऐसी सुविधा अथवा दिए गए किसी ऋण, अथवा जमा राशि के लिए प्रतिभूति का विस्तार नहीं करेगी, जो ट्रांसफरी कंपनी के साथ ट्रांसफरर कंपनी के इस आमेलन के परिणामस्वरूप ट्रांसफरी कंपनी को प्राप्त होगी और ट्रांसफरी कंपनी इस आमेलन के लागू हो जाने के बाद कोई भावी अथवा अतिरिक्त सुरक्षा सृजित करने के लिए बाध्य नहीं होगी।

4.4 ट्रांसफरी कंपनी इस योजना के प्रावधानों के अनुसार इस योजना के लागू होने के बाद किसी भी समय किसी कानून के अंतर्गत ऐसा आवश्यक होने पर उपर्युक्त प्रावधानों को औपचारिक रूप से लागू करने के प्रयोजन से अथवा अन्यथा ट्रांसफरर कंपनी के संबंध में किसी संविदा अथवा व्यवस्था के लिए किसी ऐसे पक्षकार के साथ पुष्टि का विलेख अथवा अन्य लिखित व्यवस्थाएं कर सकती है, जिनमें ट्रांसफरर कंपनी एक पक्षकार है। इस योजना के प्रावधानों के अंतर्गत ट्रांसफरी कंपनी को ट्रांसफरर कंपनी की ओर से ऐसी किसी लिखित व्यवस्था को निष्पादित करने और ट्रांसफरर कंपनी की ओर से उपर्युक्त ऐसी सभी औपचारिकताओं अथवा अनुपालनों को पूरा करने के लिए प्राधिकृत माना जाएगा।

4.5 ट्रांसफरी कंपनी और ट्रांसफरर कंपनी के बीच किसी भी पक्षकार द्वारा देय ऋण अथवा अन्य बाध्यताओं को समाप्त माना जाएगा और इस संबंध में किसी की कोई देयता नहीं होगी। जहां तक ट्रांसफरर कंपनी द्वारा जारी की गई और ट्रांसफरी कंपनी द्वारा धारित और विलोमत: प्रतिभूतियों, डिवेंचरों अथवा टिप्पणियों का संबंध है, प्रभावी तारीख से पहले किसी भी समय ऐसी प्रतिभूतियों के धारक द्वारा जब तक कि उनकी बिक्री अथवा स्थानांतरण नहीं किया जाता है, को रद्द माना जाएगा और आगे उनका कोई प्रभाव नहीं होगा।

5. कानूनी कार्यवाही

5.1 निर्धारित तारीख से ट्रांसफरी कंपनी ट्रांसफरर कंपनी द्वारा अथवा उसके विरूद्ध शुरू की गई किसी भी कानूनी अथवा अन्य कार्यवाहियों का लाभ और हानि वहन करेगी।

तथापि, किसी भी न्यायालय में लंबित अथवा किसी प्राधिकारी, न्यायिक, अर्धन्यायिक अथवा प्रशासनिक, किसी न्याय निर्णयन प्राधिकारी और / अथवा नियत तारीख के बाद उत्पन्न होने वाली और ट्रांसफरर कंपनी से संबंधित उसके विरूद्ध अथवा उसके द्वारा शुरू की गई किसी भी प्रकार की सभी कानूनी, प्रशासनिक और अन्य कार्यवाही अथवा इसकी संगत परिसंपत्तियां, संपत्तियां, देनदारियां, कार्य और बाध्यताएं जारी रहेंगे और / अथवा प्रभावी तारीख तक ट्रांसफरर कंपनी के विरूद्ध अथवा उसके द्वारा प्रवृत्त होंगे; और प्रभावी तारीख से उसी ढंग से ट्रांसफरी कंपनी द्वारा अथवा उसके विरूद्ध प्रवृत्त बने रहेंगे जैसे कि वे ट्रांसफरर कंपनी द्वारा अथवा उसके विरूद्ध जारी रहते।

5.2 यदि ट्रांसफरर कंपनी द्वारा अथवा उसके विरूद्ध किसी भी प्रकार का कोई वाद, अपील अथवा अन्य कार्यवाही लंबित है, तो वह ट्रांसफरर कंपनी के कारोबार और उद्यम के ट्रांसफरी कंपनी के हस्तांरित किए जाने से अथवा इस योजना में निहित किसी भी बात के होने से किसी भी प्रकार बाधित नहीं होगी, बंद नहीं होगी अथवा पूर्वाग्रह से ग्रसित नहीं होगी , बल्कि यह कार्यवाही ट्रांसफरी कंपनी के द्वारा अथवा उसके विरूद्ध ठीक उसी प्रकार जारी रखी जाए, अभियोजित की जाए और प्रवृत्त की जाए और उसी सीमा तक लागू की जाए

जैसे कि वह ट्रांसफरर कंपनी द्वारा अथवा उसके विरूद्ध यह मानते हुए जारी की जाती कि यह योजना शुरू ही नहीं की गई।

6. **कर्मचारियों से संबंधित मामले**

प्रभावी तारीख के आने पर ऐसे तारीख से तत्काल पहले ट्रांसफरर कंपनी द्वारा नियोजित सभी लोग ऐसे स्थानांतरण से ठीक पहले ट्रांसफरर कंपनी के ऐसे कर्मचारियों के लिए यथा लागू निबंधन और शर्तों पर तथा सेवा में कोई बाधा अथवा व्यवधान उत्पन्न किए बिना सेवा की निरंतरता के लाभ के साथ ट्रांसफरी कंपनी के कर्मचारी हो जाएंगे। ट्रांसफरी कंपनी ट्रांसफरर कंपनी द्वारा उसके किसी यूनियन/ कर्मचारी के साथ की गई किसी व्यवस्था / करार, यदि कोई है, को जारी रखने और उसका अनुपालन करने का वचन देती है। प्रभावी तारीख के आने पर ट्रांसफरर कंपनी के ऐसे कर्मचारियों के लाभार्थ भविष्य निधि, ग्रैच्यूटी निधि, अधिवर्षिता निधि अथवा विशेष रूप से गठित की गई कोई अन्य निधि या सृजित की गई अथवा मौजूदा बाध्यता के संबंध में ट्रांसफरी कंपनी को ऐसी योजनाओं अथवा निधियों के प्रावधानों के अनुसार उपर्युक्त निधियों में अंशदान करने की बाध्यता से संबंधित किसी भी प्रकार के प्रयोजनों से संगत न्यास के विलेखों अथवा अन्य दस्तावेजों में ट्रांसफरर कंपनी को प्रतिस्थापित माना जाएगा। ट्रांसफरर कंपनी द्वारा अपने कर्मचारियों के लिए सृजित की गई मौजूदा भविष्य निधि, ग्रैच्यूटी निधि और अधिवर्षिता निधि अथवा बाध्यताएं, यदि कोई हैं, उन्हीं निबंधन और शर्तों पर ऐसे कर्मचारियों के लाभार्थ जारी रहेंगी। प्रभावी तारीख से ट्रांसफरी कंपनी ट्रांसफरर कंपनी के ऐसे स्थानांतरित कर्मचारियों के लिए आवश्यक अंशदान करेगी और उसे भविष्य निधि, ग्रैच्यूटी निधि अथवा अधिवर्षिता निधि या बाध्यताएं, जहां कहीं भी लागू हैं, में जमा करेगी। इस योजना का उद्देश्य यह है कि ऐसी योजनाओं अथवा निधियों से संबंधित ट्रांसफरर कंपनी के सभी अधिकार, कर्तव्य, शक्तियां और बाध्यताएं ट्रांसफरी कंपनी की हो जाएं।

7. **कराधान और अन्य मामले**

7.1 निर्धारित तारीख से ट्रांसफरर कंपनी को होने वाली या उसके द्वारा सृजित की जाने वाली आय या सभी लाभ और ट्रांसफररर कंपनी द्वारा किए जाने वाले सभी व्यय अथवा उसे होने वाली हानियों को सभी प्रयोजनों के लिए ट्रांसफरी कंपनी की आय अथवा व्यय या लाभ अथवा हानियों के रूप में माना जाएगा, जिनमें सभी कर, यदि भुगतान किए जाते हैं, अथवा किसी लाभ और आय के संदर्भ में सृजित होते हैं, शामिल हैं और उन्हें ट्रांसफरी कंपनी के लाभ अथवा आय या जैसा भी मामला हो, व्यय अथवा हानियों (करों सहित) के रूप में माना जाएगा। इसके अलावा ट्रांसफरी कंपनी बिक्री कर / सेवा कर / उत्पाद शुल्क आदि जैसे अप्रत्यक्ष करों से संबंधित अपनी सांविधिक विवरणियों को संशोधित करने और ट्रांसफरी कंपनी तथा ट्रांसफरर कंपनी द्वारा किए गए ऐसे लेन-देन के संबंध में संगत कानूनों के अंतर्गत सभी राशियों के रिफंड / क्रेडिट का दावा करने और/अथवा उन्हें सैट-ऑफ करने के लिए पात्र होगी, जो निर्धारित तारीख और प्रभावी तारीख के बीच किए जाते हैं। बिक्री कर रिटर्न में ऐसे संशोधन करने और रिफंड/क्रेडिट के लिए दावा करने के अधिकार विशेष रूप से ट्रांसफरी कंपनी के पक्ष में आरक्षित हैं।

7.2 योजना के प्रभावी होने पर ट्रांसफरर कंपनी और ट्रांसफरी कंपनी जहां कहीं भी आवश्यक होगा और इस योजना के प्रावधानों के अनुसार अपने वित्तीय विवरणों, कर संबंधी विवरणियों को फाईल अथवा संशोधित करने, स्रोत पर कर की कटौती का प्रमाणपत्र, फाईल अथवा संशोधित करने, स्रोत पर कर की कटौती की विवरणियां अथवा अन्य सांविधिक विवरणियां फाईल अथवा संशोधित करने के लिए पात्र होंगी और उन्हें इस

योजना के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक होने पर रिफंड, अग्रिम कर क्रेडिट, न्यूनतम वैकल्पिक कर के लिए क्रेडिट, हानियों को आगे ले जाने और अनावशोषित मूल्यह्रास को आगे ले जाने, कटौतियों, करावकाश लाभ, अन्य कटौतियों और किसी अन्य क्रेडिट को आगे ले जाने और/ अथवा ट्रांसफरर कंपनी या ट्रांसफरी कंपनी द्वारा आयकर अधिनियम, मूल्यवर्धित कर, सेवा कर, केंद्रीय बिक्री कर, माल और सेवा कर अथवा किसी अन्य करों से संबंधित संगत कानूनों के अंतर्गत भुगतान की गई सभी राशियों को सेट ऑफ करने का अधिकार होगा।

7.3 ट्रांसफरी कंपनी आयकर और धन कर जैसे प्रत्यक्ष करों से संबंधित अपनी सभी सांविधिक विवरणियों को संशोधित करने और संगत कानूनों के अंतर्गत ट्रांसफरर कंपनी की कर देयताओं के रिफंड / अग्रिम कर क्रेडिट का दावा करने और/अथवा उसे सेट ऑफ करने के लिए पात्र होगी और उसे सांविधिक विवरणियों में ऐसे संशोधन करने तथा कर संबंधी देयताओं को सेट ऑफ करने और/ अथवा अग्रिम कर क्रेडिट, रिफंड आदि का दावा करने का अधिकार विशेष रूप से स्वीकृत किया जाता है।

7.4 यह विशेष रूप से स्पष्ट किया जाता है कि नियत तारीख से दावों के सभी अथवा किसी रिफंड/टीडीएस प्रमाण पत्र सहित ट्रांसफरर कंपनी द्वारा देय सभी करों को ट्रांसफरी कंपनी की पर देयता अथवा रिफंड/दावा/टीडीएस प्रमाण पत्र, जैसा भी मामला हो, माना जाएगा।

7.5 प्रभावी तारीख से और उस समय जब तक संबंधित बैंक / डीपी की खाताबही और रिकॉर्ड में ट्रांसफरर कंपनी के सभी बैंक खातों और डी-मैट खातों के संदर्भ में खाताधारक के रूप में ट्रांसफरी कंपनी का नाम दर्ज नहीं हो जाएगा, ट्रांसफरी कंपनी अपने मौजूदा नामों से ट्रांसफरर कंपनी के बैंक/डी-मैट खातों को प्रचालित करने के लिए पात्र होगी।

7.6 चूंकि ट्रांसफरर कंपनी की प्रत्येक अनुमति, अनुमोदन, सहमति, मंजूरी, स्वीकृति, विशेष आरक्षण, प्रोत्साहन, छूट और अन्य प्राधिकार कारपोरेट कार्य मंत्रालय के आदेश द्वारा ट्रांसफरी कंपनी को हस्तांतरित हो जाएंगे, अत: ट्रांसफरी कंपनी सांविधिक प्राधिकारियों के रिकॉर्ड के लिए संगत सूचनाएं फाईल करेगी, जो कारपोरेट कार्य मंत्रालय के स्वीकृति आदेशों के अनुक्रम में उन्हें अपने रिकॉर्ड में फाईल करेंगे।

8. **कारोबार का संचालन**

I. नियत तारीख से और योजना के प्रभावी होने तक :

क. यह माना जाएगा कि ट्रांसफरर कंपनी अपने सभी कारोबार और गतिविधियों का संचालन करेगी और ट्रांसफरी कंपनी की ओर से और उसके विश्वास में अपनी संपत्तियों और परिसंपत्तियों को धारित करेगी; और ट्रांसफरर कंपनी को होने वाले सभी लाभ और उन पर यथा लागू कर अथवा उनके द्वारा अर्जित लाभ या हानियों को सभी प्रयोजनों के लिए ट्रांसफरी कंपनी के लाभ अथवा हानियों, जैसा भी मामला हो, के रूप में माना जाएगा।

ख. ट्रांसफरर कंपनी अपेक्षित सावधानी के साथ और उसी ढंग से अपने व्यवसाय का संचालन करेगी जैसे वह पहले से करती आ रही थी और ट्रांसफरी कंपनी की सहमति के बिना अपने व्यवसाय में कोई परिवर्तन अथवा उसमें बड़ा विस्तार नहीं करेगी।

ग. ट्रांसफरर कंपनी ट्रांसफरी कंपनी की लिखित सहमति के बिना अपने कारोबार की सामान्य प्रक्रिया में अथवा ट्रांसफरी कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा योजना को स्वीकार किए जाने की तारीख से पहले की

गई पूर्ववर्ती किसी बाध्यता के अनुक्रम में, जैसा भी मामला हो, को छोड़कर अपनी किसी संपत्ति का प्रभार नहीं छोड़ेगी अथवा अपने आप को उससे मुक्त नहीं करेगी।

घ. Transferor Company shall not vary or alter, except in the ordinary course of their business or pursuant to any pre-existing obligation undertaken prior to the date of acceptance of the Scheme by the Board of Directors of Transferee Company the terms and conditions of employment of any of its employees, nor shall it conclude settlement with any union or its employees except with the written concurrence of Transferee Company. ट्रांसफरर कंपनी ट्रांसफरी कंपनी की लिखित सहमति के बिना अपने कारोबार की सामान्य प्रक्रिया में अथवा ट्रांसफरी कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा योजना को स्वीकार किए जाने की तारीख से पहले की गई पूर्ववर्ती किसी बाध्यता के अनुक्रम में, को छोड़कर अपने कर्मचारियों में से किसी भी कर्मचारी की रोजगार की निबंधन और शर्तों में कोई परिवर्तन अथवा संशोधन नहीं करेगी और ट्रांसफरी कंपनी की लिखित सहमति के बिना किसी यूनियन अथवा इसके कर्मचारियों के साथ कोई सेटलमेंट नहीं करेगी।

ङ. निर्धारित तारीख से ट्रांसफरर कंपनी के सभी कर्ज, देनदारियां, कर्तव्य और बाध्यताएं, निर्धारित तारीख के एक दिन पहले वाली तारीख को कारोबार समाप्त होने की स्थिति के अनुसार, चाहे उनका प्रावधान अपनी खाताबही में किया गया हो या न किया गया हो और ऐसी सभी देनदारियां, जो निर्धारित तारीख को या उसके बाद उत्पन्न होती हैं, को ट्रांसफरी कंपनी के कर्ज, देनदारियां, कर्तव्य और बाध्यताओं के रूप में माना जाएगा।

II. योजना के प्रभावी होने पर ट्रांसफरी कंपनी अपना कारोबार शुरू करेगी और ट्रांसफरर कंपनी द्वारा किए गए कारोबार को आगे बढ़ाने के लिए प्राधिकृत होगी।

III. कारपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा इस योजना के संदर्भ में कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 230-232 के अंतर्गत पारित किए गए आदेश को लागू करने के प्रयोजन से ट्रांसफरी कंपनी इस योजना से संबंधित आदेशों के अनुक्रम में किसी भी समय कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 230 से 232 के प्रावधानों के अनुसार ट्रांसफरर कंपनी के कारोबार और उद्यम का अधिकार प्राप्त करने के लिए कानूनी अधिकार (अधिकारो) में परिवर्तन को रिकॉर्ड करने के लिए पात्र होगी। ट्रांसफरी कंपनी किसी भी समस्या को दूर करने के लिए आवश्यक होने पर कोई शपथ, अपील, आवेदन, फॉर्म आदि निष्पादित करने और इस योजना के कार्यान्वयन के लिए यथावश्यक औपचारिकताएं अथवा अनुपालन पूरे करने के लिए प्राधिकृत होगी।

भाग-III
विचारण और लेखांकन व्यवस्था

1. **विचारण**

I. योजना के लागू होने पर ट्रांसफरी कंपनी द्वारा धारित (या तो प्रत्यक्ष रूप से अथवा नामितियों के माध्यम से) ट्रांसफरर कंपनी के सभी इक्विटी शेयर और प्राथमिकता शेयर किसी आगामी आवेदन, अधिनियम अथवा विलेख के बिना रद्द माने जाएंगे। यह स्पष्ट किया जाता है कि ट्रांसफरर कंपनी के शेयरों के बदले में ट्रांसफरी कंपनी द्वारा कोई भी नया शेयर जारी नहीं किया जाएगा अथवा नगद रूप में कोई भुगतान नहीं किया जाएगा।

II. इस योजना के प्रभावी होने पर ट्रांसफरी कंपनी द्वारा धारित शेयरों के संदर्भ में ट्रांसफरर कंपनी के शेयरों अथवा शेयर प्रमाण पत्रों, जैसा भी मामला हो, को किसी आगामी आवेदन, अधिनियम, लिखत अथवा विलेख के बिना स्वत: रूप से रद्द माना जाएगा और उन्हें सरेंडर करने की किसी आवश्यकता के बिना उनका कोई प्रभाव नहीं रहेगा।

2. प्राधिकृत शेयर पूंजी में वृद्धि और ट्रांसफरी कंपनी के संगम ज्ञापन में संशोधन

2.1 योजना के प्रभावी होने पर ट्रांसफरर कंपनी की प्राधिकृत शेयर पूंजी को किसी आगामी अधिनियम, विलेख अथवा प्रक्रिया, औपचारिकताओं या स्टांप शुल्क और पंजीकरण शुल्क के भुगतान के बिना ट्रांसफरी कंपनी की प्राधिकृत शेयर पूंजी में जोर दिया गया माना जाएगा। इक्विटी शेयरों का अंकित मूल्य प्राधिकृत पूंजी में वृद्धि के पश्चात ट्रांसफरी कंपनियों के इक्विटी शेयरों के बराबर बना रहेगा।

2.2 योजना के प्रभावी होने पर ट्रांसफरी कंपनी के संगम ज्ञापन का अध्याय V किसी आगामी अधिनियम, विलेख अथवा लिखत के बिना निम्नानुसार प्रतिस्थापित हो जाएगा :

कंपनी की इक्विटी शेयर पूंजी *112,000,000,000* रुपए *(*ग्यारह हजार दो सौ करोड़ रुपए*)* है, जो प्रत्येक 10/- रुपए (दस रुपए) के *11,000,000,000 (*एक हजार एक सौ करोड़*)* इक्विटी शेयरों और प्रत्येक 10/- रुपए (दस रुपए) के *200,000,000 (*बीस करोड़*)* प्राथमिकता शेयरों के रूप में विभाजित है।

2.3 कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 230-232 के अनुसरण में ट्रांसफरी कंपनी के सदस्यों द्वारा योजना के अनुमोदन पर यह माना जाएगा कि उपर्युक्त सदस्यों में धारा 13, 14, 61 के अंतर्गत और कंपनी अधिनियम 2013 के अन्य यथालागू प्रावधानों, जो ऊपर बताए अनुसार ट्रांसफरी कंपनी के संगम ज्ञापन में संशोधन के प्रयोजन से लागू होते हैं, के अंतर्गत संगत सहमतियां भी प्रदान की हैं। यह स्पष्ट किया जाता है कि ट्रांसफरी कंपनी के संगम ज्ञापन में संशोधन के लिए कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 13,

14 और 61 के अंतर्गत यथावश्यक अलग से शेयरधारकों का संकल्प पारित करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी।

3. आमेलन के लिए लेखांकन व्यवस्था

इस योजना के प्रभावी होने पर ट्रांसफरर कंपनी के ट्रांसफरी कंपनी के साथ आमेलन की गणना कारपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी कंपनी (लेखांकन मानक) नियमावली 2006 में यथाविहित ''लेखांकन मानक 14 : आमेलन के लिए लेखांकन'' अथवा समय-समय पर यथा संशोधित कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियमावली 2015 (यदि लागू हो) के अंतर्गत यथा अधिसूचित कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 133 के अंतर्गत यथा विहित ''व्यापार समिश्रण के लिए भारतीय लेखांकन मानक (भारतीय एएस) 103 के अनुसार की जाएगी, जैसा कि :

3.1 ट्रांसफरी कंपनी निर्धारित तारीख को ट्रांसफरर कंपनी की खाताबही में किए गए उल्लेख के अनुसार उनके संगत खाताबही मूल्य पर इस योजना के अनुसार ट्रांसफरर कंपनी को प्रदत्त आरक्षित निधियों सहित सभी परिसंपत्तियों और देनदारियों को रिकॉर्ड करेगी।

3.2 यदि आमेलन के समय ट्रांसफरर कंपनी और ट्रांसफरी कंपनी की लेखांकन नीतियों में किसी भी प्रकार का कोई विरोधाभास या मतांतर होता है, तो ट्रांसफरी कंपनी द्वारा आमेलन के अनुपालन में एक समान लेखांकन नीति अपनाई जाएगी। लेखांकन नीतियों में किसी भी परिवर्तन के वित्तीय विवरणों पर प्रभाव को यथालागू लेखंकन मानक 5 ''पूर्वावधि और असाधारण मदें और लेखांकन नीतियों में परिवर्तन'' के अनुसार उसे रिपोर्ट किया जाएगा।

3.3 ट्रासंफरी कंपनी की खाताबही में किए गए उल्लेख के अनुसार ट्रांसफरर कंपनी की इक्विटी शेयर पूंजी में निवेश, यदि कोई है, जो प्रभावी तारीख से पहले यदि स्थानांतरित नहीं किया जाता है तो उसे रद्द माना जाएगा और इस मद में कोई भावी बाध्यता / देय राशि बकाया नहीं होगी।

3.4 ट्रांसफरर कंपनी और ट्रांसफरी कंपनी के बीच उनकी संगत खाता बहियों में किए गए उल्लेख के अनुसार उनके द्वारा साथ-साथ धारित किसी भी प्रकार के ऋण और अग्रिम अथवा देय राशियों या प्राप्त होने वाली राशियों को प्रभावी तारीख से पहले समाप्त माना जाएगा।

4. पूर्ण किए जा चुके लेन-देनों की बचत (सेविंग)

उपर्युक्त पैरा में यथापरिकल्पित ट्रांसफरर कंपनी द्वारा अथवा उसके विरूद्ध संपत्तियों और देनदारियों के स्थानांतरण और कार्यवाही के जारी रहने से निर्धारित तारीख को अथवा उससे पहले और निर्धारित तारीख के बाद से प्रभावी तारीख तक ट्रांसफरी कंपनी द्वारा पहले पूरी की जा चुकी कार्यवाही अथवा किसी लेन-देन पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और यह आशा की जाती है कि ट्रांसफरर कंपनी यह स्वीकार करती है और मानती है कि सभी कार्य, विलेख और बातें जो ट्रांसफरी कंपनी द्वारा उसकी ओर से की जाती हैं, मानो उसी की ओर से किए गए हैं अथवा किए जा रहे हैं।

5. **ट्रांसफरर कंपनी का अस्तित्व समाप्त होना**

प्रभावी तारीख आने पर ट्रांसफरर कंपनी किसी भावी कार्य अथवा विलेख के बिना इसके व्यवसाय को बंद किए बिना समाप्त मानी जाएगी।

भाग - IV

अन्य प्रावधान

1. कारपोरेट कार्य मंत्रालय के लिए आवेदन :

1.1 भारत सरकार की कार्य आवंटन नियमावली 1961 के नियम 3 (1) के साथ पठित कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 462 के अनुसरण में दिनांक 13 जून 2017 को जारी की गई कारपोरेट कार्य मंत्रालय की अधिसूचना संख्या जीएसआर 522 (ई) के संदर्भ में कारपोरेट कार्य मंत्रालय ('एमसीए') को ''सरकारी कंपनियों के संदर्भ में कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधानों के अंतर्गत विशेष क्षेत्राधिकार प्राप्त है। चूंकि ट्रांसफरर कंपनी और ट्रांसफरी कंपनी दोनों ही सरकारी कंपनियां हैं, अत: इस योजना की सुनवाई करने, इस पर विचार करने और इसे मंजूर करने का अधिकार क्षेत्र कारपोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) के पास है।

1.2 ट्रांसफरर कंपनी और ट्रांसफरी कंपनी के शेयरधारकों और क्रेडिटरों के अपेक्षित बहुमत द्वारा इस योजना को अनुमोदित किए जाने पर ट्रांसफरर कंपनी और ट्रांसफरी कंपनी सभी उचित प्रेषण के साथ कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 230-232 और अन्य यथा लागू प्रावधानों के अंतर्गत इस योजना को मंजूरी प्रदान करने के लिए कारपोरेट कार्य मंत्रालय के समक्ष एक आवेदन प्रस्तुत करेंगी और इस योजना को मंजूरी प्रदान करने/लागू करने के लिए कारपोरेट कार्य मंत्रालय के विवेकानुसार अन्य आदेश अथवा आदेशों को जारी करने का अनुरोध करेंगी। इस योजना के लागू होने पर ट्रांसफररर कंपनी और ट्रांसफरी कंपनी दोनों के शेयरधारकों और क्रेडिटरों के लिए भी यह माना जाएगा कि उन्होंने इस योजना में निहित प्रावधानों को लागू करने के लिए कंपनी अधिनियम 2013 के सभी संगत प्रावधानों के अंतर्गत अपना अनुमोदन प्रदान कर दिया है।

2. सूचीकरण करार और सेबी के अनुपालन

2.1. चूंकि ट्रांसफरी कंपनी एक सूचीबद्ध कंपनी है, अत: इस योजना की मंजूरी और कार्यान्वयन के संबंध में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के सूचीकरण विनियमों और अन्य सांविधिक निदेशों के अंतर्गत सभी अपेक्षाओं का अनुपालन करना इस योजना के लिए आवश्यक है।

2.2. सेबी ने अपनी दिनांक 15 फरवरी 2017 की अधिसूचना संख्या एसईबीआई/एलएडी/एनआओ/जीएन/ 2016-17/029 के माध्यम से सूचीकरण विनियमों में संशोधन किया है और पूर्व अनुमोदन प्राप्त करने की शर्त को शिथिल किया है अथवा पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी के इसकी धारक कंपनी के साथ विलय के मामले में स्टॉक एक्सचेंज और सेबी से अनापत्ति प्रमाण पत्र / अवलोकन प्राप्त करने की अपेक्षा को शिथिल किया है। उपर्युक्त अधिसूचना के अनुपालन में इन योजनाओं को प्रकटन के प्रयोजन से बीएसई लिमिटेड और एनएसई लिमिटेड के समक्ष फाईल किया जाएगा।

3. योजना की सशर्त स्थिति :

यह योजना निम्नलिखित शर्तों और स्थितियों के अध्यधीन है :

(क) जहां तक सूचीबद्ध कंपनी से जुड़ी योजना का संबंध है, तो यह योजना कंपनी अधिनियम 2013, सेबी विनियम के यथा लागू प्रावधानों का अनुपालन करती है, जहां तक गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का संबंध है, तो यह भारतीय रिजर्व बैंक की यथा लागू अपेक्षाओं को पूरा करती है और ऐसे अन्य कानूनों का अनुपालन करती है, जो कंपनियों के लिए अथवा व्यवस्था की इस योजना के लिए लागू होता है।

(ख) इस येाजना के लिए ट्रांसफरर कंपनी और ट्रांसफेरी कंपनी के सदस्यों और क्रेडिटरों के संगत अपेक्षित बहुमत द्वारा स्वीकृति दी जा रही है ;

(ग) योजना के लिए कारपोरेट कार्य मंत्रालय के माध्यम से केंद्र सरकार द्वारा अनुमोदन दिया जा रहा है ;

(घ) इस योजना को मंजूरी प्रदान करने के लिए कारपोरेट कार्य मंत्रालय के आदेश (आदेशों) की सभी प्रमाणित प्रतियां संगत क्षेत्राधिकार वाले कंपनी रजिस्ट्रार के समक्ष फाईल किए जा रहे हैं।

(ङ) यद्यपि यह योजना निर्धारित तारीख से प्रभावी होगी, परंतु यह तब तक लागू नहीं होगी, जब तक कि कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 230 से 232 के अंतर्गत आदेश (आदेशों) की आवश्यक प्रमाणिक प्रतिलिपियां विधिवत रूप से संगत क्षेत्राधिकार वाले कंपनी रजिस्ट्रार के समक्ष फाईल नहीं कर दी जाएंगी।

4. **योजना में आशोधन अथवा संशोधन और योजना को पुन: बहाल करना**

क. ट्रांसफरी कंपनी, ट्रांसफरर कंपनी अपने संगत निदेशक मंउलों अथवा ऐसे अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों, जिन्हें संगत निदेशक मंडल प्राधिकृत करते हैं, जिनमें उनकी कोई समिति अथवा उप समिति शामिल है, के माध्यम से योजना में कोई संशोधन अथवा आशोधन करने या उसकी किसी शर्त अथवा शर्तों या कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय अथवा किसी अन्य प्राधिकारी के विवेकानुसार निदेशित अथवा अधिरोपित की जाने वाली सीमाओं अथवा अन्यथा आवश्यक या अपेक्षित शर्तों को संशोधित कर सकती हैं और/अथवा इसके लिए सहमति प्रदान कर सकती हैं। ट्रांसफरी कंपनी, ट्रांसफरर कंपनी अपने संगत निदेशक मंउलों अथवा ऐसे अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों, जिन्हें संगत निदेशक मंडल प्राधिकृत करते हैं, जिनमें उनकी कोई समिति अथवा उप समिति शामिल है, के माध्यम से इस योजना को लागू करने के लिए यथावश्यक, अपेक्षित अथवा उचित कदम उठाने और ऐसे सभी कार्य, विवेक और बातें करने के लिए प्राधिकृत होंगी, जो किसी संदेह, समस्या का समाधान करने अथवा कारपोरेट कार्य मंत्रालय के किसी आदेश (आदेशों) अथवा किसी अन्य प्राधिकारी के किसी निदेश अथवा आदेश (आदेशों) के फलस्वरूप उठाए जाने वाले प्रश्नों का समाधान करने के लिए आवश्यक होंगे अथवा जो इस योजना के अंतर्गत अथवा के परिणामस्वरूप उत्पन्न होंगे और/अथवा इससे संबंधित किसी मामले के फलस्वरूप उत्पन्न होंगे।

ख. ट्रांसफरर कंपनी और ट्रांसफरी कंपनी कारपोरेट कार्य मंत्रालय अथवा किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा अधिरोपित किसी ऐसी शर्त अथवा परिवर्तन के मामले में इस योजना से अपने आपको अलग करने के लिए स्वतंत्र होंगी, जो उन्हें स्वीकार्य नहीं है।

ग. यदि ऊपर बताई गई स्वीकृतियों/ अनुमोदनों/ शर्तों में से किसी भी शर्त का अनुपालन नहीं किया जाता है अथवा अपेक्षित अनुमोदन प्रापत नहीं किया जा रहा है और/अथवा उनकी पूर्ति नहीं की जाती है और/अथवा इस योजना के लिए कारपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा मंजूरी प्रदान नहीं की जा रही है और/अथवा ऊपर बताए अनुसार आदेश अथवा आदेशों को पारित नहीं किया जाता है और/अथवा योजना को लागू करने में सफल नहीं होते हैं, तो यह योजना समाप्त, रद्द मान ली जाएगी और यह प्रभावी नहीं होगी तथा ऐसी स्थिति में ट्रांसफरर कंपनी

और ट्रांसफरी कंपनी अथवा उनके संगत शेयरधारकों या क्रेडिटरों या कर्मचारियों या किसी अन्य व्यक्ति को कोई अधिकार अथवा देनदारी नहीं सौंपी जाएगी, परंतु नीचे किए गए उल्लेख के अनुसार पहले से किए गए किसी कार्य अथवा उल्लेख के संदर्भ में उत्पन्न होने वाले अधिकार अथवा देनदारियां इसमें शामिल नहीं होंगी अथवा ऐसे कोई अधिकार, देनदारी अथवा बाध्यता, जो इसके अनुक्रम में उत्पन्न अथवा सृजित हुई है और जो लागू कानूनों के अनुसार शासित होगी तथा आरक्षित होगी अथवा जिसकी गणना की जाएगी, भी इसमें शामिल नहीं होंगी और ऐसे मामले में जब तक कि आपसी तौर पर अन्यथा सहमति व्यक्त नहीं की जाती है, प्रत्येक कंपनी अपनी लागत स्वयं वहन करेगी। इसके अलावा ट्रांसफरर कंपनी और ट्रांसफरी कंपनी के निदेशक मंडल इस योजना को समाप्त, रद्द करने और अनुपयोगी घोषित करने के लिए पात्र होंगे, बशर्ते कि ऐसे निदेशक मंडलों का यह विचार होता है कि इस योजना के प्रावधानों के अनुसार योजना को लागू करने से अथवा किसी प्राधिकारी के साथ दिए गए आदेशों को फाईल करने से सभी कंपनियों / किसी कंपनी पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड सकता है।

5. **लागतें**

इस योजना के प्रावधानों अथवा निबंधन और शर्तों के कार्यान्वयन और इससे जुड़े अनुषंगी मामलों के कार्यान्वयन से उत्पन्न होने वाली सभी लागतें, प्रभार, फीस, कर, जिनमें शुल्क, उद्ग्रहण और सभी अन्य व्यय शामिल हैं, अन्य व्यय यदि कोई हैं (बशर्ते कि इसके लिए अन्यथा सहमति व्यक्त की जाए) ट्रांसफरी कंपनी द्वारा वहन किए जाएंगे और अदा किए जाएंगे।

****